राजकीय बहुतकनीकी संस्थान हमीरपुर, ज़िला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के छात्र कल्याण निधि लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 4/2012 से 3/2015

भाग–एक

1 गत अंकेक्षणः–

राजकीय बहुतकनीकी संस्थान हमीरपुर द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में समाविष्ट अनिर्णीत अंकेक्षण अनुच्छेदों के निस्तारण हेतु कृत कार्यवाही की समीक्षा वर्तमान अंकेक्षण में करने पर पाया गया कि चिरकाल से चले आ रहे अनिर्णीत अंकेक्षण अभियुक्तियों के निष्पादन में की गई कार्यवाही सन्तोषजनक नहीं है। कोताही का यह प्रकरण तकनीकी शिक्षा विभाग क उच्चाधिकारियों के समक्ष इस सन्दर्भ में अपेक्षित दिशा निर्देश जारी करने के उद्देश्य से लाया जाता है ताकि अंकेक्षण प्रतिवेदनों में दर्शाये गये अनिर्णीत पैरों के निस्तारण हेतु ठोस कार्यवाही सुनिश्चित हो सके। समीक्षापरोन्त पैरों की नवीनतम स्थिति निम्नानुसार हैः–

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/81 से 03/91 तक

1	पैरा–5 (क)	अनिर्णीत।
2	पैरा–5 (ज)	अनिर्णीत।
3	पैरा–5 (झ)	अनिर्णीत।
4	पैरा–5 (ञ)	अनिर्णीत।
5	पैरा–5 (ट)	अनिर्णीत।
6	पैरा–5 (ढ)	अनिर्णीत।
7	पैरा–5 (न)	अनिर्णीत।
8	पैरा–5 (प)	अनिर्णीत।
9	पैरा–5 (म)	अनिर्णीत।
10	पैरा–7	अनिर्णीत।
11	पैरा–8	अनिर्णीत।
12	पैरा–9 (3)	अनिर्णीत।
13	पैरा–9 (4)	अनिर्णीत।
14	पैरा–9 (5)	अनिर्णीत।
15	पैरा–9 (6)	अनिर्णीत।

अंकेक्षण प्रतिवेदन 4/91 से 3/92 तक

1	पैरा–5	अनिर्णीत।
2	पैरा–6 (ख)	अनिर्णीत।
3	पैरा–7	अनिर्णीत।
4	पैरा–8 (6)	अनिर्णीत।

अंकेक्षण प्रतिवेदन 4/92 से 3/96 तक

1	पैरा–11	अनिर्णीत।

अंकेक्षण प्रतिवेदन 4/96 से 3/99 तक

1	पैरा–4 (1)	अनिर्णीत।
2	पैरा–4 (3)	अनिर्णीत।
3	पैरा–4 (4)	अनिर्णीत।
4	पैरा–4 (5)	अनिर्णीत।
5	पैरा–4 (6)	अनिर्णीत।
6	पैरा–4 (7)	अनिर्णीत।
7	पैरा–5 (1)	अनिर्णीत।
8	पैरा–5 (2)	अनिर्णीत।
9	पैरा–5 (3)	अनिर्णीत।
10	पैरा–5 (4)	अनिर्णीत।
11	पैरा–5 (5)	अनिर्णीत।
12	पैरा–5 (6)	अनिर्णीत।
13	पैरा–5 (7)	अनिर्णीत।
14	पैरा–5 (9)	अनिर्णीत।

अंकेक्षण प्रतिवेदन 4/99 से 3/2000 तक

1	पैरा–4 (2)	अनिर्णीत।
2	पैरा–5 (2)	अनिर्णीत।

अंकेक्षण प्रतिवेदन 4/2000 से 3/2001 तक

1	पैरा–4 (1)	अनिर्णीत।
2	पैरा–4 (3)	अनिर्णीत।
3	पैरा–4 (5)	अनिर्णीत।
4	पैरा–4 (6)	अनिर्णीत।

अंकेक्षण प्रतिवेदन 4/2001 से 3/2002 तक

1	पैरा–4 (1)	अनिर्णीत।
2	पैरा–5 (2)	अनिर्णीत।
3	पैरा–6 (1)	अनिर्णीत।
4	पैरा–6 (3)	अनिर्णीत।
5	पैरा–6 (5)	अनिर्णीत।

अंकेक्षण प्रतिवेदन 4/2002 से 3/2003 तक

1	पैरा–3	अनिर्णीत।
2	पैरा–5 (1)	अनिर्णीत।
3	पैरा–5 (2) (क)	अनिर्णीत।
4	पैरा–5 (2) (ख)	अनिर्णीत।
5	पैरा–5 (4)	अनिर्णीत।
6	पैरा–5 (5)	अनिर्णीत।
7	पैरा–6 (1)	अनिर्णीत।
8	पैरा–6 (2)	अनिर्णीत।
9	पैरा–6 (3)	अनिर्णीत।

अंकेक्षण प्रतिवेदन 4/2003 से 3/2004 तक

1	पैरा–5	अनिर्णीत।
2	पैरा–6 (1)	अनिर्णीत।
3	पैरा–6 (2)	अनिर्णीत।
4	पैरा–6 (4)	अनिर्णीत।
5	पैरा–6 (5)	अनिर्णीत।
6	पैरा–6 (6)	अनिर्णीत।

7	पैरा–6 (8)	अनिर्णीत।
8	पैरा–6 (9)	अनिर्णीत।
9	पैरा–6 (10)	अनिर्णीत।

अंकेक्षण प्रतिवेदन 4/2004 से 3/2006 तक

1	पैरा–4 (1)	अनिर्णीत।
2	पैरा–4 (2)	अनिर्णीत।
3	पैरा–5 (1)	अनिर्णीत।
4	पैरा–5 (2)	अनिर्णीत।
5	पैरा–6	अनिर्णीत।
6	पैरा–7	अनिर्णीत।
7	पैरा–8 (क)	अनिर्णीत।
8	पैरा–8 (ख)	अनिर्णीत।
9	पैरा–9 (1)	अनिर्णीत।
10	पैरा–9 (2)	अनिर्णीत।
11	पैरा–10 (1)	अनिर्णीत।
12	पैरा–10 (2)	अनिर्णीत।
13	पैरा–12	अनिर्णीत।
14	पैरा–13	अनिर्णीत।
15	पैरा–14	अनिर्णीत।
16	पैरा–15 (क)	अनिर्णीत।
17	पैरा–15 (ख)	अनिर्णीत।

अंकेक्षण प्रतिवेदन 4/2006 से 3/2008 तक

1	पैरा–3	अनिर्णीत।
2	पैरा–4 (क)	अनिर्णीत।
3	पैरा–4 (ख)	अनिर्णीत।
4	पैरा–5	अनिर्णीत।
5	पैरा–6	अनिर्णीत।
6	पैरा–7	अनिर्णीत।
7	पैरा–8 (क)	अनिर्णीत।

8	पैरा–8 (ख)	अनिर्णीत।
9	पैरा–8 (ग)	अनिर्णीत।
10	पैरा–8 (घ)	अनिर्णीत।
11	पैरा–8 (ङ)	अनिर्णीत।
12	पैरा–8 (च)	अनिर्णीत।
13	पैरा–8 (छ)	अनिर्णीत।
14	पैरा–10	अनिर्णीत।
15	पैरा–11	अनिर्णीत।
16	पैरा–12	अनिर्णीत।
17	पैरा–13	अनिर्णीत।
18	पैरा–14	अनिर्णीत।

अंकेक्षण प्रतिवेदन 4/2008 से 3/2010 तक

1	पैरा–4	अनिर्णीत।
2	पैरा–5 (1)	अनिर्णीत।
3	पैरा–5 (2)	अनिर्णीत।
4	पैरा–5 (3) (क)	अनिर्णीत।
5	पैरा–5 (3) (ख)	अनिर्णीत।
6	पैरा–5 (3) (ग)	अनिर्णीत।
7	पैरा–5 (3) (घ)	अनिर्णीत।
8	पैरा–5 (3) (ङ)	अनिर्णीत।
9	पैरा–6 (क)	अनिर्णीत।
10	पैरा–6 (ख) (1)	अनिर्णीत।
11	पैरा–6 (घ)	अनिर्णीत
12	पैरा–6 (ङ)	अनिर्णीत
13	पैरा–7 (क)	अनिर्णीत।
14	पैरा–7 (ख)	अनिर्णीत।
15	पैरा–7 (घ) (1)	अनिर्णीत।
16	पैरा–7 (घ) (2)	अनिर्णीत।
17	पैरा–7 (घ) (5)	अनिर्णीत।

18	पैरा–7 (घ) (6)	अनिर्णीत।	
19	पैरा–9 (ख)	अनिर्णीत।	

अंकेक्षण प्रतिवेदन 04/2010 से 03/2012 तक

1	पैरा–6	अनिर्णीत।	
2	पैरा–7	निर्णीत।	(अनुपालना की सत्यापनोपरान्त)
3	पैरा–7.1	निर्णीत।	(कृत अनुपालना की सत्यापनोपरान्त)
4	पैरा–8	अनिर्णीत।	
5	पैरा–9	अनिर्णीत।	
6	पैरा–10	अशतः निर्णीत।	
7	पैरा–11	निर्णीत।	(अनुपालना की सत्यापनोपरान्त)
8	पैरा–12	निर्णीत।	(अनुपालना की पुष्टि उपरान्त)
9	पैरा–12.1	निर्णीत।	(₹63432/– की राशि छात्र कल्याण निधि में जमा करवाने की पुष्टि उपरान्त)
10	पैरा–12.2	निर्णीत।	(₹1328266/– की राशि छात्र कल्याण निधि में जमा करवाने की पुष्टि उपरान्त)
11	पैरा–13	निर्णीत।	(पैरे की नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 4 (ग) में दी गई है)
12	पैरा–14	निर्णीत।	(पैरे की नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 13 में दी गई है)

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

राज़कीय बहुतकनीकी संस्थान हमीरपुर हिमाचल प्रदेश के छात्र कल्याण निधि लेखाओं अवधि 4/2012 से 3/2015 तक का वर्तमान अंकेक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में वर्णित हैं, श्री अजीत सिंह, अनुभाग अधिकारी (लेखा परीक्षा) तथा श्री नरेन्द्र कुमार, आर्टिकल सहायक द्वारा दिनाँक 17.06.2015 से 22.06.2015 तक (बडु) हमीरपुर में किया गया। छात्र कल्याण निधि लेखाओं की विस्तृत ज़ाँच हेतु चयनित मासों का विवरण निम्नलिखित हैः–

वर्ष	आय	व्यय
2012–13	8/2012	11/2012
2013–14	10/2013	9/2013
2014–15	3/2015	9/2014

अनुवर्ती अनुच्छेदों में दर्शाए गए अभिलेख के अतिरिक्त समस्त वाँछित अभिलेख अंकेक्षण को सत्यापनार्थ प्रस्तुत किया गया।

यह अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन राजकीय बहुतकनीकी संस्थान हमीरपुर प्रशासन द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं/अभिलेख पर आधारित है। अंकेक्षण को प्रदत्त किसी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत होने अथवा उपलब्ध ही न करवाए जाने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश का कोई उत्तरदायित्व नहीं है। विभाग का उत्तरदायित्व केवल अंकेक्षण की विस्तृत ज़ाँच हेतु चयनित मासों तक ही सीमित है।

अंकेक्षणाधीन अवधि में संस्थान के प्रधानाचार्यों का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्रमाँक	प्रधानाचार्य का नाम	अवधि
1	श्री डी0के0 गौतम	8.11.08 से 30.4.12
2	श्री के0एस0 कौण्डल	3.5.12 से 13.5.12
3	श्री राकेश कपूर	14.5.12 से अद्यतन

3 अंकेक्षण शुल्कः–

अवधि 04/2012 से 03/2015 तक संस्थान के छात्र कल्याण निधि लेखाओं के अंकेक्षण शुल्क का आँकलन ₹9000/– किया गया जिसे संस्थान द्वारा बैंक ड्राफ्ट संख्या 537361 दिनाँक 24.06.2015 द्वारा, "निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–9" के नाम प्रेषित कर दिया है।

4 वित्तीय स्थितिः–

राज़कीय बहुतकनीकी संस्थान हमीरपुर के छात्र कल्याण निधि लेखाओं की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण यथासंलग्न **परिशिष्ट "क"** तथा बैंक समाधान विवरणी यथा **परिशिष्ट "ख (1) व ख (2)"** पर है, जिनके सन्दर्भ में निम्नलिखित अंकेक्षण अभियुक्तियाँ हैं जिनका निराकरण अपेक्षित हैः–

(क) छात्र कल्याण निधि खातों में संचित राशियों को आवश्यकता से अधिक बचत बैंक खातों में रखनाः–

छात्र कल्याण निधि लेखाओं की वित्तीय स्थिति की विवेचना करने पर पाया गया कि संस्थान द्वारा छात्र कल्याण निधि खातों में संचित राशियों को आवश्यकता से अधिक बैंक बचत खातों में रखा गया है जबकि छात्र कल्याण निधि नियम 2012 के नियम 4 (b) के अनुसार निधि में उपलब्ध अतिरेक (Surplus) राशि को सावधि जमा योजना में निवेश किया जाना अपेक्षित है। अतः नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए भविष्य में बक बचत खाते में राशि संस्थान की वास्तविक आवश्यकतानुसार रखकर अतिरेक राशि का किसी निश्चित अवधि के लिए सावधि जमा योजना में निवेश किया जाए ताकि बैंक से बचत खाते पर प्राप्त ब्याज की अपेक्षा सावधि जमा योजना में निवेशित राशि पर अधिक ब्याज अर्जित किया जा सक व छात्र निधि की वित्तीय स्थिति की सुदृढ़ता सुनिश्चित हो सके।

(ख) बैंक समाधान विवरणी में दर्शाई गई शुद्ध अन्तर की राशि ₹6280.96 का समायोजन न करनाः–

बैंक समाधान विवरणी की विवेचना करने पर पाया गया कि निम्नविवरणानुसार वित्तीय स्थिति व बैंक खातों में जमा राशि का शुद्ध अन्तर ₹6280.96 था जिनका विवरण **परिशिष्ट "ख"** (1) व (2) में दिया गया है। संस्थान द्वारा इन राशियों का समायोजन वर्तमान अंकेक्षण में नहीं किया गया और न ही इन अन्तरों बारे कोई स्पष्टीकरण अंकेक्षण को प्रस्तुत किया गयाः–

क्र0सं0	**निधि का विवरण**	**रोकड़ बही अनुसार अन्तशेष (₹)**	**बैंक खातो में जमा राशि (₹)**	**अन्तर (₹)**
1	प्रतिभूति निधि	2600990	2615920	(+) 14930
2	छात्र कल्याण निधि	57549145.81	57540496.77	(–) 8649.04
			शुद्ध अन्त	**₹6280.96**

अतः उक्त राशि का शीघ्र समायोजन करके कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में प्रत्येक मासान्त रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान कर के समाधान विवरणी का उल्लेख रोकड़ बही में किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ग) Imprest के रूप में दत्त राशियों का समायोजन यथासमय न करनाः–

संस्थान के विभिन्न कर्मचारियों को Imprest के रूप में दत्त अग्रिम राशियों से सम्बन्धित अभिलेख की ज़ाँच करने पर पाया गया कि दिनाँक 31.3.2015 को Imprest के रूप में ₹136174/– की राशि शेष थी तथा विभिन्न प्रयोजनों हेतु छात्र कल्याण निधि से दत्त अग्रिमों का यथासमय समायोजन न करके इन राशियों को चिरकाल तक हस्तगत रखा गया है जिस से न केवल इन राशियों के बैंक खातों में जमा रहने पर प्राप्ति योग्य ब्याज की हानि हुई है अपितु इन राशियों को लम्बी अवधि तक अकारण ही हस्तगत रखकर इनका अस्थाई दुर्विनियोजन किया गया है जो एक गम्भीर अनियमितता है। चूँकि प्रक्रियानुसार किसी प्रयोजन हेतु अग्रिम के समायोजन लेखें इच्छित कार्य पूर्ण करने के तुरन्त बाद प्रस्तुत किए जाने अपेक्षित है। अतः समायोजन लेखें यथासमय प्रस्तुत न करने वाले दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध अपेक्षित कार्यवाही करके उनसे विलम्ब से प्राप्त अव्ययित पर दण्ड ब्याज की वसूली भी की जानी सुनिश्चित करें ताकि इस प्रक्रिया में सुधार लाया जाना सम्भव हो सके।

5 प्रति घण्टा/पीरियड आधार पर नियुक्त प्रवक्ताओं के ₹3571988/– के वेतन की प्रतिपूर्ति न करनाः–

अंकेक्षण अवधि 4/2012 से 3/2015 तक छात्र कल्याण निधि खातों से कृत भुगतान से सम्बन्धित अभिलेख की ज़ाँच करने पर पाया गया कि उक्त अवधि में प्रतिघण्टा/पीरियड आधार पर नियुक्त प्रवक्ताओं/कार्यशाला अनुदेशकों व कम्पयूटर सहायकों को दिए गए वेतन की प्रतिपूर्ति नहों की गई है जबकि निदेशक, तकनीकी शिक्षा, हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या STV (TE) H : B(2) 8/2007-19717-7327 दिनाँक 23.07.2010 जिसमें उक्त श्रेणी के प्रवक्ताओं के मानदेय में वृद्धि करने की स्वीकृति दी गई है, की शर्त (b) में यह प्रावधान किया गया है कि पहले प्रति घण्टा/पीरियड आधार पर नियुक्त प्रवक्ताओं के वेतन का भुगतान छात्र कल्याण निधि से किया जाएगा। तथा तदोपरान्त कृत भुगतान की प्रतिपूर्ति मानदेय शीर्ष से की जाएगी। किन्तु इस संस्थान द्वारा इस सन्दर्भ में ज़ारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप छात्र कल्याण निधि से कृत भुगतान की प्रतिपूर्ति नहीं की गई है जिससे न केवल उपरोक्त दिशा–निर्देशों की

अवमानना हुई है बल्कि इन राशियों की यथासमय प्रतिपूर्ति न करने के कारण इन राशियों के छात्र कल्याण निधि बैंक खातों में जमा रहने पर बैंक से प्राप्ति योग्य ब्याज की हानि भी हुई है। अतः अपेक्षित प्रतिपूर्ति यथाशीघ्र करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। प्रतिपूर्ति न की गई राशियों का विवरण निम्नानुसार हैः–

1	परिशिष्ट ग (1)	₹1529110
2	परिशिष्ट ग (2)	₹1083928
3	परिशिष्ट ग (3)	₹958950
	योग=	**₹3571988**

6 **उपस्थिति विवरणिका में उपस्थिति न दर्शाकर ₹600/– का अनुचित भुगतानः–**

माह 10/2012 में प्रति घण्टा/पीरियड आधार पर नियुक्त प्रवक्ता श्री अरूण कुमार विषय DE, E+EE को दिए गए पाश्रिमिक से सम्बन्धित उपस्थिति विवरणी की ज़ाँच करने पर पाया गया कि उक्त प्रवक्ता को 2.6 पीरियड (Theory @ ₹350/=4 पीरियड (Practical) @₹150 की दर से कुल ₹9700/– का भुगतान किया गया जबकि 4 Practical पीरियड से सम्बन्धित उपस्थिति विवरणी में हाजिरी का कोई उल्लेख नहीं किया गया था कि उक्त कर्मचारी द्वारा किस–2 दिन Practical करवाया गया था। उपरोक्त के अभाव में 4 पीरियड (Practical) हेतु@₹150/– प्रति पीरियड की दर से ₹600/– के भुगतान की सत्यापना अंकेक्षण के दौरान नहीं की जा सकी। अतः हाजिरी विवरणी में उपस्थिति न दर्शाने पर तथा अपूर्ण अभिलेख के आधार पर कृत ₹600/– के अनुचित भुगतान बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही Under proper attestation करते हुए अनुपालना अंकेक्षण को दर्शाई जाए अन्यथा ₹600/– की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से सुनिश्चित की जाए।

7 **सफाई से सम्बन्धित कार्य आबंटन पर ₹1865/– का अधिक भुगतानः–**

माह 9/2014 में मै0 सुशील कुमार C/O आर0के0 एण्ड कम्पनी, उखली ज़िला हमीरपुर को उनके बिल संख्या 113 दिनाँक 1.9.2014 द्वारा संस्थान की सफाई हेतु दिए गए के सन्दर्भ में कृत भुगतान से सम्बन्धित अभिलेख की ज़ाँच करने पर पाया गया कि दिनाँक 30.7.2014 से 30.6.2015 तक की अवधि में संस्थान की सफाई के कार्य का आबंटन उक्त फर्म को ₹28900/– प्रतिमाह की दर से किया गया। लेकिन भुगतान वाउचरों के अनुसार फर्म

द्वारा दिनाँक 28.7.2014 से 31.7.2014 तक का दावा प्रस्तुत किया गया जिसका यथावत भुगतान करने के कारण फर्म को 2 दिनों का निम्नविवरणानुसार ₹1865/– का अधिक भुगतान किया गया जिस का औचित्य स्पष्ट करते हुए ₹1865/– की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से करके राशि छात्र कल्याण निधि खातों में जमा करवाई जाएः–

28900/31X2=₹1865

8 **खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन पर ₹16070/– का अनियमित व्ययः–**

माह 10/2012 में 17th Inter Polytechnic Sports meet जो राजकीय पोलीटैक्निक सुन्दरनगर, ज़िला मण्डी हिमाचल प्रदेश में दिनाँक 10.10.2012 से 12.10.2012 तक आयोजित की गई थी, से सम्बन्धित व्यय वाउचरों का अन्य अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को प्रतियोगिताओं के दौरान नियमों में निर्धारित दरों से दैनिक भत्ते व अल्पाहार की राशि का भुगतान किसी फर्म या मेजवान संस्था द्वारा संचालित कैन्टीन/मैस को न करके ₹16070/– का भुगतान प्रतिभागी छात्रों को नकदी क रूप में किया गया जबकि दैनिक भत्ते व प्रतियोगिता के दौरान दिए गए अल्पाहार का भुगतान किसी फर्म या मेजवान संस्थान द्वारा संचालित मैस को करने के भुगतान के समर्थन में बिल/रसीद प्राप्त करके किया जाना अपेक्षित था। संस्थान द्वारा अपनाई गई इस प्रक्रिया में पारदर्शिता को स्पष्ट कमी परिलक्षित होती है। अतः भविष्य में इस प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए छात्र कल्याण निधि से कृत भुगतान के समर्थन में बिल/वाउचर प्राप्त किए जाने सुनिश्चित करें ताकि अंकेक्षण द्वारा दिए गए सुझाव की अनुपालना सम्भव हो सके।

9 **HT व LT लाईन के बदलने हेतु ₹222710/– का अनियमित भुगतानः–**

माह 11/2012 में ₹222710/– का भुगतान वरिष्ठ अधिशाषी अभियन्ता विद्युत मण्डल हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड हमीरपुर को छात्र व छात्रा आवास भवन बनाने से पूर्व Shifting of 11KV HT Line and LT line crossing over the proposed site of Boys and girls Hostel के रूप में किया गया जिसकी स्वीकृति निदेशालय तकनीकी शिक्षा हिमाचल प्रदेश के पत्राँक एस0टी0वी0 (टी0ई0) एच–जी (छात्र कल्याण निधि) भवन कार्य–10–2012 दिनाँक 12.11.2012 द्वारा छात्र कल्याण निधि नियम 2012 के नियम के अन्तर्गत ली गई।

किन्तु इस व्यय का अनुमोदन संस्थान के छात्र कल्याण संगठन से नहीं करवाया गया है जो नियम 31 के नीचे दिए गए नोट के अनुसार अपेक्षित है। अतः इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही यथाशीध्र करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10 ₹41193/– के व्यय पर क्रय की गई सामग्री की उपयोगिता का विवरण प्रस्तुत न करनाः–

निम्नलिखित फर्मों से क्रय की गई लेखन सामग्री व अन्य सामग्री के रख–रखाव हेतु प्रचलित स्टोर/स्टॉक रजिस्टरों की ज़ाँच करने पर पाया गया कि इन क्रय मदों के प्राप्ती भण्डार इन्द्राज बिलवार स्टॉक रजिस्टर में तो किए गए है किन्तु क्रय सामग्री के आगामी उपयोग से सम्बन्धित कोई अभिलेख अंकेक्षण को सत्यापनार्थ प्रस्तुत नहीं किया गया जिस कारण यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि कौन–2 सी सामग्री का उपयोग किस प्रयोजन हेतु कब–2 किया गया व कितनी मात्रा भावी उपयोग हेतु शेष बची है। अतः निम्नलिखित क्रय की गई सामग्री की उपयोगिता का खपत विवरण तैयार करके आगमी अंकेक्षण को सत्यापनार्थ प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें तथा भविष्य में छात्र कल्याण निधियों से क्रय किए गए स्टोर/स्टॉक का लेखाँकन पृथक–2 रजिस्टरों (Consumable and Non consumablr) में पृथक–2 पृष्ठों पर किया जाए।

क्रय की गई सामग्री का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र0सं0	मास जिसमें भुगतान किया गया	फर्म का विवरण	बिल संख्या	दिनाँक	क्रय की गई सामग्री का विवरण	भुगतान की गई राशि
1	11/2012	मै0 प्लाईवुड कम्पनी बड्ु, ज़िला हमीरपुर।	963	12.10.12	प्लाई शीटें मोलडिंग कीलें फैविकोल व नट बोल्ट	4828
2	9/2013	मै0 चोपड़ा ट्रेनिंग कम्पनी भोटा रोड डुग्गा, ज़िला हमीरपुर	617	शून्य	सैनेटरी सामग्री	17030

3	9/2014	मै0 राकेश प्रिटिंग प्रैस, न्यू रोड हमीरपुर	865	5.4.14	5000 उत्तर पुस्तिकाऐं 4 पृष्ठ वाली	3500
					5000 उत्तरपुस्तिकाऐं 12 पृष्ठ वाली	10500
					वैट 5%	700
4	9/2014	मै0 पारूल टैक्नीकल स्टोर, बडु ज़िला हमीरपुर।	1943	शून्य	500 ड्राईंग शीटस	2000
5	3/2014	मै0 ठाकुर टैक्नीकल स्टोर बडु, ज़िला हमीरपुर।	245	28.3.14	लेखन सामग्री	2635
					योग=	**₹41193**

प्रतिभूति निधि

11 ₹5000/– की प्रतिभूति राशि का भुगतान प्रवेश क्रमाँक में दर्शाए गए छात्र की अपेक्षा अन्यों को करनाः–

निम्नविवरणानुसार प्रतिभूति निधि से कृत भुगतान से सम्बन्धित अभिलेख की ज़ाँच करने पर पाया गया कि इन प्रकरणों में प्रतिभूति राशि के भुगतान प्रवेश क्रमाँक मे प्रविष्टि नामों की अपेक्षा अन्यों को किया गया है जिस कारण इन प्रकरणों में सही दावेदार को भुगतान होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः इस चूक बारे अपेक्षित स्पष्टीकरण तथ्यों सहित आगामी अंकेक्षण को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें तथा सही दावेदार को भुगतान न होने की अवस्था में इन राशियों की वसूली चूककर्ता/उचित स्त्रोत से करके ₹5000/– की राशि वापिस छात्र कल्याण निधि खाते में जमा करवाई जाएः–

प्रवेश शुल्क	छात्र का नाम	चैक संख्या	दिनाँक	भुगतान की गई राशि (₹)
257/9	आशुतोष	024227	8.11.12	1000

344/11	सानिका	041719	2.9.13	1000
89/210	साहिल	041737	9.9.13	1000
348/11	नेहा	041744	21.9.13	1000
121/March	ज्ञान चन्द	0119831	15.9.14	1000
			योग=	**₹5000**

12 देय फीस व निधियों की राशि देरी से/देय तिथि के उपरान्त वसूल करने पर विलम्ब फीस जुर्माने की ₹30200/– वसूली न करनाः–

सत्र 2013–14 व 2014–15 में देय फीस व निधियों की राशि देय तिथि के उपरान्त वसूल करने पर भी विलम्ब फीस जुर्माने की देय ₹30200/– की राशि वसूल नहीं की गई जबकि संस्थान विवरणिका 2013–14 के नियम 14.9 व विवरणिका 2014–15 के नियम 14.10 के अन्तर्गत देय फीस व निधियों की राशियों को प्रत्येक समैस्टर शुरू होने के 5 कार्य दिवस के भीतर देय फीस व निधियों की राशियों को वसूल किया जाना अपेक्षित था तथा इसके उपरान्त निधियों की राशियों को वसूल करने पर प्रत्येक दिन देरी के लिए ₹50/– प्रतिदिन अधिकतम 5 दिनों तक की देरी के लिए ₹250/– प्रति छात्र विलम्ब फीस जुर्माने के रूप में वसूल किए जाने अपेक्षित थे। अतः नियमों के अनुरूप विलम्ब फीस जुर्माने की देय ₹30200/– की राशि वसूल न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अविलम्ब सम्पूर्ण राशि की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से करके राशि जुर्माने निधि खाते में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। देय विलम्ब फीस जुर्माने की वसूल न की गई राशि का विस्तारपूर्वक विवरण **परिशिष्ट "घ"** पर दिया गया है।

13 स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न करवानाः–

संस्थान द्वारा अंकेक्षण अवधि में स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं करवाया गया है जबकि हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 के नियम 140 (2) के अनुसार स्टोर/स्टॉक का प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार प्रत्यक्ष सत्यापन करवाया जाना अपेक्षित है। इस प्रकरण को अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2010 से 3/2012 के पैरा संख्या 14 के द्वारा भी संस्था प्रशासन के ध्यानार्थ लाने पर भी इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही न करना जहाँ उपरोक्त नियम की अवहेलना है वहीं अंकेक्षण अभियुक्तियों के प्रति संस्था प्रशासन की उदासीनता का भी परिचायक है। अतः इस सन्दर्भ में न केवल अपेक्षित कार्यवाही त्वरित रूप से की जाए

अपितु भविष्य में भी उक्त कार्यवाही नियम के उपरोक्त प्रावधानानुसार की जानी सुनिश्चित की जाए।

14 **लघु आपत्ति विवरणिकाः—** यह अलग से जारी नहीं की गई।

15 **निष्कर्षः—** छात्र कल्याण निधि लेखाओं के रखरखाव में सुधार की नितान्त आवश्यकता के अतिरिक्त लेखों की आतरिक ज़ाँच प्रणाली का सुदृढ़ किया जाना अपेक्षित है।

हस्ता/—

सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)सी (15)xi(vi) 12/76 खण्ड—5–6107—6110 दिनांक,17.10.15
शिमला—171009
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :—

1 सचिव, (तकनीकी शिक्षा) हि0प्र0, शिमला—171002
2 निदेशक, तकनीकी शिक्षा हिमाचल प्रदेश, सुन्दरनगर, ज़िला मण्डी (हि0प्र0)
पंजीकृत 3 प्रधानाचार्य, राज़कीय बहुतकनीकी संस्थान हमीरपुर, ज़िला हमीरपुर को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में वर्णित अनियमितताओं का सटिप्पण उत्तर निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0, शिमला—171009 को प्रतिवेंदन के जारी होने के एक माह के भीतर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
4 श्री अजीत सिंह, अनुभाग अधिकारी (लेखा परीक्षा) द्वारा..............

हस्ता/—

सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.